

कनाडा को भारतीय अंगूर का निर्यात

कनाडा सरकार ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के अपने पत्र के माध्यम से भारतीय अंगूरों के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है। तत्पश्चात, एपीडा ने ट्रायल शिपमेंट के रूप में अंगूर का निर्यात करने के इच्छुक सभी निर्यातकों के लिए दिनांक 30 अक्टूबर 2015 को परामर्श जारी किया। यह सूचित किया गया था कि केनिडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी (सीएफआईए) (Canadian Food Inspection Agency (CFIA)) द्वारा निम्नलिखित लागू शर्तों के साथ आने पर कंसाइनमेंट का 100% निरीक्षण किया जाएगा:

- क) वाइनयार्ड और पैक हाउस एपीडा के साथ पंजीकृत होने चाहिए।
- ख) ट्रेसिबिलिटी अनुरक्षित रखा जाना चाहिए।
- ग) पेस्ट फ्रीडम सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- घ) एनपीपीओ को कम से कम 2% पैक किए गए फलों के डिब्बों का निरीक्षण करना चाहिए।
- ड) कनाडा के आयातकों को आयात परमिट प्राप्त करना होगा।
- च) भारत के एनपीपीओ द्वारा जारी पीएससी में निम्न अतिरिक्त घोषणा शामिल होनी चाहिए "इस शिपमेंट का निरीक्षण किया गया है और कनाडा द्वारा विनियमित किसी भी कीट के सभी चरणों से मुक्त पाया गया है"।

अंगूर सीजन 2016 में, पहला कंसाइनमेंट 28 मार्च 2016 को सफलतापूर्वक कनाडा भेज दिया गया और उसे मंजूरी मिल गई।

इसी क्रम में, इस वर्ष, वनस्पति संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय (डीपीपीक्यूएस) ने अपने पत्र संख्या 115-3/2009-पीक्यूडी दिनांक 03/02/2017 के माध्यम से सूचित किया है कि एपीडा

के साथ संबद्ध सभी हितधारकों जैसे निर्यातक, पैक हाउस, आदि को यूरोपीय संघ को टेबल अंगूर के निर्यात के लिए अपनाई गई और पालन की गई समान प्रणाली दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता है।

निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे वर्ष 2015 के दौरान जारी परामर्श में लागू शर्तों का पालन करें। कनाडा सरकार ने यूरोपीय संघ को अंगूर के निर्यात के लिए अपनाई जाने वाली समान प्रणाली के साथ भारत से टेबल अंगूर स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। कीट नियंत्रण परीक्षण या अवशेष विश्लेषण परीक्षण एपीडा से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से किए जाने हैं। निर्यातकों को आगे वैध आयात परमिट के साथ आयातकों को अंगूर निर्यात करने की सलाह दी जाती है।

ट्रायल आधार पर इस वर्ष के दौरान प्रणाली दृष्टिकोण की प्रभावशीलता के लिए केनिडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी (सीएफआईए) द्वारा भारत से अंगूर के आयात का निरीक्षण किया जाएगा।

निर्यातकों से अनुरोध है कि हमारे सुलभ संदर्भ और अतिरिक्त आवश्यक कार्रवाई के लिए कनाडा को निर्यात करते समय एपीडा को सूचित करें।

डॉ. सुधांशू
उप महाप्रबंधक
एपीडा